संख्या:351/2022/1217/35-4-2022/35-4099/60/2021

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 03 अक्टूबर,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-रायबरेली के विधानसभा क्षेत्र-सलोन में राजकीय पालीटेक्निक, गोपालपुर के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-26/2020/265/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 2431.05 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-92/2021/1077/35-4-2021, दिनांक 08 जुलाई, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 687.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा पत्रांक: 549/मा0मु0घो0/त्व0आ0वि0यो0/पॉली0/2022-23, दिनांक 02 सितम्बर, 2022 द्वारा उक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में देय धनराशि रू. 935.64 लाख (रूपये नौ करोड़ पैंतिस लाख चौंसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

| कार्य | अनुमोदित लागत | पूर्व में अवमुक्त धनराशि | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|
| राजकीय पालीटेक्निक, गोपालपुर, सलोन, रायबरेली का भवन निर्माण | **2431.05** | **887.65** | **935.64** |

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 एवं 08 जुलाई, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,35,64,000 (रूपये नौ करोड़ पैंतिस लाख चौंसठ हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 420202104030302 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तकनीकी शिक्षा बहुशिल्प त्वरित आर्थिक विकास योजना राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:351/2022/1217/35-4-2022/35-4099/60/2021.तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली ।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली ।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली ।
14- परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई-अमेठी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, गौरीगंज, अमेठी ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।